न्यायालय

फर्द अहकाम

जगदीश बनाम बाबूलाल

मुकदमा संख्या / वर्ष 10/7/2023 /20

क्र0सं0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	28/6/24	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित प्रत्यर्थी सं० 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जाकर विचारार्थ है। अप्रार्थी सं० 3 को जवाब हेतु 5 दिन का अवसर दिया जाकर जवाब का इसरार बन्द किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस T-I हेतु दिनांक 3/7/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
	3/7	पत्रावली पेश हो। वकील उभयपक्ष उपस्थित। अप्रार्थी अभिभाषक ने बहस T-I हेतु अवसर मांगा न्यायालय ने अवसर प्रदान किया। अतः आगामी पेशी पर बहस T-I करने पत्रावली वास्ते बहस T-I हेतु दिनांक 11/7/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
	11/7/24	पत्रावली पेश हो। वकील उभयपक्ष उपस्थित बहस T-I सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 25/7/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
		पत्रावली वास्ते आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत है। बहस उभयपक्ष व पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया मालता, सुविधा का संतुलन अपूरणीय क्षति का किसी प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:35:25 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय

फर्द अहकाम

जगदीश बनाम बाबूलाल

10/7/2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली मिसल हुआ करे। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	